बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

Bihar Administrative Service Association

...निक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग ... 8000..
(निबंधन सं० ... 633 / 2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa...gmail.com

...यक्ष
- सुशील कुमार
...94... 7004466338
...09@gmail.com

...सचिव
- सुश्री ... सिद्दिकी
...
...rsheed1@gmail.com

पत्रांक 28   11/x/19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों के प्रखण्ड / अंचल संबंधी प्रशिक्षण में सुधार एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाये जाने के संदर्भ में ।

प्रसंग: बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का पत्र पत्रांक 15, दिनांक- 21.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयांक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि नवनियुक्त बि.प्र.से के प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रखण्ड/अंचल का प्रशिक्षण प्रखण्ड/अंचल का पूर्ण प्रभार देकर करायी जाये। ज्ञातव्य है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 9830, दिनांक 06.10.2009 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के रूप में पूर्ण प्रभार के साथ प्रशिक्षण देने का आदेश निर्गत हुआ था। साथ ही विभिन्न प्रकरणों पर मूवमेंट ट्रांजिट के लिए भी समय रखा गया था। जिसका अक्षरशः अनुपालन बिहार प्रशासनिक सेवा के 48-52वीं बैच के प्रशिक्षु के साथ किया गया था, जिसमें प्रखण्ड / अंचल का सम्पूर्ण प्रभार एवं भारत दर्शन प्रशिक्षण कार्य सम्मिलित था। इस संदर्भ में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्गत पत्र पत्रांक 41, दिनांक- 01.01.2011 संलग्न किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 166933, दिनांक 23.10.2013 द्वारा नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार के साथ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त के संदर्भ में संघ का अनुरोध है कि नवनियुक्त 60-62वीं बैच के प्रशिक्षु पदाधिकारियों को प्रखण्ड / अंचल का पूर्ण प्रभार के साथ प्रशिक्षण देने कि व्यवस्था की जाय। साथ ही

भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम को भी शामिल किया जाय। तदअनुसार सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प 13982, दिनांक- 23.10.2018 को संसोधित किया जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव (बासा)

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष (बासा)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक-

विषयः - बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-9830, दिनांक 06.10.2009 द्वारा निर्धारित कार्यकम के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों को वर्त्तमान में 80 (अस्सी) सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 20 सप्ताह का सांस्थिक प्रशिक्षण एवं 4 सप्ताह का द्वितीय चरण में सांस्थिक प्रशिक्षण तथा 56 सप्ताह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यकम शामिल है।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यकम में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य संपादन के नये-नये तकनीक, लोक दायित्व एवं लोक सीमाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए पूर्व से निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्यकम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए कुल 40 (चालीस) सप्ताह का पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यकम निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है: -

कम सं0	सप्ताह में	प्रशिक्षण कार्यकम	अवधि (सप्ताह में)	अभ्युक्ति
1	1-12	प्रथम चरण सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training)	12	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
2		**क्षेत्रीय प्रशिक्षण**		**जिला/अनुमंडल एवं प्रखंड में ।**
	13-14	कोषागार प्रशिक्षण	02	
	15-16	राजस्व न्याय	02	
	17-18	न्यायिक प्रशिक्षण	02	
	19-22	जिला नजारत/राजस्व/सामान्य शाखा/गोपनीय शाखा/आपूर्ति/विकास/लेखा/परिवहन	04	
	23-24	जिला पंचायत/ग्रामीण विकास अभिकरण	02	
	25-26	सर्वे एवं वंदोवस्त	02	
	27	रेकर्ड रूम/कापिपिंग एवं निलामपत्र	01	
	28	आरक्षी प्रशिक्षण	01	
	29	अनुमंडल पदाधिकारी के साथ	01	

	30	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	01	
	31-38	प्रखंड/अंचल में प्रशिक्षण	08	अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अपर अंचल अधिकारी के रूप में ।
3	39-40	द्वितीय चरण सांस्थिक प्रशिक्षण	02	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
		कुल सप्ताह-	40	

4. उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सभी परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता पदस्थापन वाले जिला में वरीय उप समाहर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए परीक्ष्यमान अवधि (2 वर्ष) पूरा करेंगे।

5. यह पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सेवा के 56वीं से 59वीं बैच के नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए चालू प्रशिक्षण सत्र से लागू होगा।

आदेशः -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/नि0-1005/2009-सा0प्र0- 13982 /पटना-15, दिनांक- 23.10.18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/नि0-1005/2009-सा0प्र0- 13982 /पटना-15, दिनांक- 23.10.18

प्रतिलिपि-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ,पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव,सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव